भारतीय रिज़र्व बैंक
शिमला क्षेत्रीय कार्यालय
शिमला
(वेबसाइट: www.rbi.org.in)

ई-टेंडर आईडी: 2026_RBI_297921

कोटेशन के लिए अनुरोध (RFQ)

'A3' एडवांस्ड ऑल-इन-वन (एआईओ) डेस्कटॉप की 3 संख्या की आपूर्ति और स्थापना।

वाणिज्यिक बोली

ई-टेंडर जमा करने की नियत तिथि और समय: 28 नवंबर, 2026, शाम 05:00 बजे

अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक, शिमला ने इच्छुक पार्टियों को विषय वस्तु पर व्यापक पृष्ठभूमि की जानकारी प्रदान करने के लिए यह दस्तावेज़ तैयार किया है। जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने यहां निहित जानकारी को संकलित और सत्यापित करने में उचित परिश्रम किया है और इसे अपने सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सटीक और पूर्ण मानता है, न तो भारतीय रिज़र्व बैंक, और न ही इसका कोई अधिकारी, अधिकारी, या कर्मचारी, स्पष्ट रूप से या निहित रूप से, प्रदान की गई जानकारी की पूर्णता, सटीकता, समयबद्धता या विश्वसनीयता का प्रतिनिधित्व करता है - चाहे वह इस दस्तावेज़ या किसी भी संबंधित सामग्री में निहित हो।

यहां प्रस्तुत जानकारी केवल सामान्य मार्गदर्शन के लिए है और संपूर्ण नहीं है। इच्छुक पार्टियों को दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि वे कोई भी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने से पहले अपने स्वयं के स्वतंत्र उचित परिश्रम का संचालन करें, सभी प्रासंगिक तथ्यों को सत्यापित करें और उचित पेशेवर सलाह लें। सभी उत्तरदाताओं को स्पष्ट रूप से लिखित रूप में पुष्टि करनी चाहिए कि उन्होंने इस तरह की स्वतंत्र जांच की है और वे अपनी निविदा तैयार करने या जमा करने में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर रहे हैं।

यह दस्तावेज़ सख्ती से गैर-बाध्यकारी आधार पर प्रदान किया गया है। यह भारतीय रिज़र्व बैंक, उसके अधिकारियों, एजेंसियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, एजेंटों या सलाहकारों द्वारा एक प्रस्ताव, प्रतिबद्धता या दायित्व के रूप में नहीं माना जाएगा, और न ही इसे एक प्रस्ताव, प्रतिबद्धता या दायित्व के रूप में माना जाएगा। भारतीय रिज़र्व बैंक अपने विवेकाधिकार पर पूर्ण और अप्रतिबंधित अधिकार सुरक्षित रखता है:

- बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय काम या निविदा प्रक्रिया को बंद करें, निलंबित करें या रद्द करें;
- कार्यक्षेत्र को संशोधित करना, संशोधित करना या कार्य के विनिर्देशों, या डिलिवरेबल्स को पुन: कॉन्फ़िगर करना;
- इस दस्तावेज़ में परिलक्षित समयरेखा, शेड्यूल या मील के पत्थर को बदलें;
- प्रक्रियाओं, मूल्यांकन मानदंड, या सबमिशन आवश्यकताओं को संशोधित या बदलें;
- रुचि व्यक्त करने वाले किसी भी पक्ष के साथ आगे की चर्चा या पत्राचार में प्रवेश करने से इनकार करना।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस प्रक्रिया में भाग लेने या रुचि व्यक्त करने वाले किसी भी व्यक्ति, संस्था या संगठन को किसी भी प्रकार की लागत, व्यय या प्रतिपूर्ति - चाहे वह प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, आकस्मिक, या परिणामी हो - वहन या प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। सभी प्रतिभागी अपनी लागत और खर्च स्वयं वहन करेंगे।

इस निविदा दस्तावेज में भविष्य के किसी भी संशोधन, शुद्धिपत्र, परिशिष्ट या स्पष्टीकरण को विशेष रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट (www.rbi.org.in) और सीपीपी पोर्टल (https://etenders.gov.in/eprocure/app) के माध्यम से सूचित किया जाएगा। इस तरह के अपडेट किसी भी

समाचार पत्र या अन्य सार्वजनिक मीडिया में प्रकाशित नहीं किए जाएंगे। किसी भी बदलाव या अधिसूचना के लिए इन आधिकारिक प्लेटफार्मों की नियमित रूप से निगरानी करना इच्छुक पार्टियों की एकमात्र जिम्मेदारी है।

विषय-सूची		
वाणिज्यिक बोली	पृष्ठ संख्या	
	से	सेवा मेरे
परिचय	4	4
ई-टेंडर (एसओटी) की अनुसूची	4	5
खंड I: सूचीबद्ध विक्रेताओं की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां	6	8
खंड II: सामान्य नियम और शर्तें	9	11
खंड III: बोलीदाताओं को निर्देश	12	13
अनुसूची ए		
मात्रा की अनुसूची के लिए नोट्स (SOQ)/बिल ऑफ क्वांटिटी (BOQ)	14	14

परिचय

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, केंद्रीय कार्यालय (डीआईटी, सीओ), भारतीय रिज़र्व बैंक, आरएफपी संख्या आरबीआई/डीआईटी-सीओ केंद्रीय कार्यालय विभाग/अन्य/1/26-27/ईटी/39 [विक्रेताओं का पैनल], ने 2026-27 की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में कंप्यूटर सिस्टम की आपूर्ति और स्थापना के लिए आठ विक्रेताओं को सूचीबद्ध किया है, जिसमें संबंधित तकनीकी विशिष्टताओं के साथ निर्दिष्ट उत्पाद लाइनों को शामिल किया गया है। पैनल में शामिल विक्रेताओं, उत्पादों और विशिष्टताओं की सूची सभी केंद्रीय कार्यालय विभागों (सीओडी), क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) और प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों (टीई) को परिपत्र सीओ के माध्यम से सूचित की गई है। डीआईटी। आईएनएफएचडब्ल्यू। संख्या एस610/04-23-030/2026-2027 दिनांक 15 सितंबर, 2026।

तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक, शिमला संबंधित उत्पाद/श्रेणी के लिए उपर्युक्त परिपत्र के तहत पैनलबद्ध/सूचीबद्ध विक्रेताओं से यह सीमित निविदा आमंत्रित कर रहा है।

खरीद आदेश विशिष्ट उत्पाद/लाइन आइटम के लिए L1 विक्रेता के पास रखा जाएगा, जो संबंधित उद्धरण के आधार पर और निविदा के नियमों और शर्तों को पूरा करने के अधीन होगा।

परिपत्र CO में उल्लिखित सभी नियम और शर्तें। डीआईटी। आईएनएफएचडब्ल्यू। 15 सितंबर, 2026 दिनांक संख्या S610/04-23-030/2026-2027 लागू होगी।

ई-टेंडर (एसओटी) की अनुसूची

ई-टेंडर की अनुसूची इस प्रकार है:

i)	ई-टेंडर आईडी	**2026_RBI_297921**
ii)	काम का विवरण	**'A3' एडवांस्ड ऑल-इन-वन (एआईओ) डेस्कटॉप की 3 संख्या की आपूर्ति और स्थापना।**
iii)	निविदा का तरीका	ई-टेंडर
iv)	अनुमानित लागत	**5,70,000/- रुपये (पांच लाख सत्तर हजार रुपये मात्र) कर सहित**
v)	समय अनुमति है वितरण और स्थापना के लिए	**डिलिवरी- कार्य आदेश जारी होने के दिन से** 06 सप्ताह **स्थापना- 01 सप्ताह**
vi)	उत्पादों की वारंटी	सिस्टम की स्वीकृति की तारीख से साइट पर 3 साल
vii)	भुगतान की शर्तें	यदि कोई क्रय आदेश मूल्य तीन (03) लाख रुपये (करों को छोड़कर) से अधिक है, तो उत्पाद की संतोषजनक स्थापना पर या डिलीवरी के दो सप्ताह के भीतर विक्रेता को खरीद आदेश (पीओ) मूल्य का 90% बनाया जाएगा, यदि देरी बैंक या अप्रत्याशित घटना के कारण है, जो भी

		पहले हो और वारंटी अवधि की समाप्ति पर या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी की गई समतुल्य राशि की बैंक गारंटी जमा करने पर शेष 10% (करों को छोड़कर) वारंटी अवधि के अंत तक वैध है।

आठवीं)	परिसमापन नुकसान	प्रत्येक सप्ताह या देरी के उसके हिस्से के लिए कुल खरीद आदेश मूल्य (करों को छोड़कर) का 0.5 प्रतिशत, कुल खरीद आदेश मूल्य (जीएसटी आदि जैसे करों को छोड़कर) के 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अधीन।
ix)	बिलों के निपटान का समय	उत्पाद की संतोषजनक स्थापना पर या डिलीवरी के दो सप्ताह के भीतर
x)	निर्गमन का प्रदर्शन सुरक्षा गारंटी।	वारंटी अवधि के अंत में बैंक द्वारा प्रदर्शन सुरक्षा बैंक गारंटी जारी की जाएगी
xi)	आरएफक्यू जारी करने की तिथि	**नवम्बर 16, 2026, 05:00 अपराह्न**
xii)	प्री-बिड मीटिंग	निविदा से संबंधित कोई भी प्रश्न निविदा खोलने की नियत तारीख से पहले इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा ditshimla@rbi.org.in को संबोधित ई-मेल के माध्यम से मांगा जा सकता है
xiii)	ऑनलाइन वाणिज्यिक बोली जमा करने के लिए ई-निविदा शुरू होने की तिथि	**नवम्बर 16, 2026, 05:00 अपराह्न**

xiv)	वाणिज्यिक बोली जमा करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा की समाप्ति की तिथि	**नवम्बर 28, 2026, 05: 00 PM**
xv)	वाणिज्यिक बोली खोलने की तिथि	**नवम्बर 30, 2026, 11:00 अपराह्न**

xvi)	लेन-देन शुल्क, यदि कोई हो (गैर-वापसी योग्य)	जीईएम-सीपीपीपी भुगतान गेटवे /एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से जीईएम-सीपीपी पोर्टल (जैसा कि उल्लेख किया गया है जीएसटी % सहित) में उल्लिखित लेनदेन शुल्क का भुगतान।

बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे सभी मदों के लिए जीएसटी सहित दरों का उल्लेख करें। जीएसटी सहित प्रणाली में दिखाई गई अंतिम कुल राशि अंतिम बोली राशि/अनुबंध राशि होगी। ई-निविदा खोलने के बाद उद्धृत दरों में कोई बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा।

खंड I

सूचीबद्ध विक्रेताओं की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

एक.लागत और मुद्रा

१. पैनल में शामिल विक्रेताओं को वस्तुओं/उपकरणों की कीमतों को केवल भारतीय रुपये में उद्धृत करना आवश्यक है और इसमें जीएसटी और अन्य कर, यदि कोई हो, शामिल हैं।

२. वस्तुओं/उपकरणों की आपूर्ति के लिए चुने गए विक्रेता को बैंक के स्थान पर डिलीवरी तक की वस्तुओं/उपकरणों को कवर करने के लिए पारगमन बीमा लेना आवश्यक है। ट्रांजिट बीमा प्रीमियम राशि की प्रतिपूर्ति बैंक द्वारा नहीं की जाएगी।

३. विक्रेता अनुबंध अवधि की वैधता के दौरान उपकरण के उन्नत संस्करणों, यदि कोई हो, की आपूर्ति करेगा।

दो. वितरण और स्थापना अवधि

विक्रेताओं को ऑर्डर देने की तारीख से डिलीवरी और इंस्टॉलेशन के लिए निम्नलिखित समय अनुसूची की सलाह दी गई है। किसी भी देरी पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

वितरण	06 सप्ताह
स्थापना और संचालन	01 सप्ताह

तीन. इंस्टालेशन

वस्तुओं/उपकरणों की आपूर्ति के लिए चुने गए विक्रेता को इसे स्थापित करना आवश्यक है। स्थापना की प्रक्रिया के दौरान, विक्रेता को पुराने डेस्कटॉप और लैपटॉप से नए में बैकअप की प्रतिलिपि बनानी होती है, और स्वीकृति से पहले बैंक द्वारा आपूर्ति किए गए सभी लाइसेंस प्राप्त सॉफ़्टवेयर यानी, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एमएस ऑफिस, विंडोज ओएस, एडोब, आदि को बिना किसी अतिरिक्त लागत के स्थापित करना होता है।

चार. आपूर्ति किए गए उपकरणों की अनुकूलता

विक्रेताओं द्वारा आपूर्ति किए गए सभी उपकरण ऑपरेटिंग सिस्टम के नवीनतम

संस्करण के साथ संगत होंगे।

पाँच. <u>वारंटी</u>

अ)संबंधित स्थानों पर सीओडी/आरओ/टीई द्वारा सिस्टम की स्वीकृति की तारीख से सभी भागों और श्रम को कवर करने वाली तीन साल की ऑन-साइट व्यापक वारंटी। वारंटी अवधि के दौरान, विक्रेता को उनके द्वारा आपूर्ति किए गए हार्डवेयर घटकों, सिस्टम सॉफ्टवेयर और सहायक उपकरण का व्यापक रखरखाव करना होगा।

आ) iPad OS वाले उत्पाद मानक OEM वारंटी के साथ आते हैं।

इ) विक्रेताओं से अगले कार्य दिवस तक सभी वस्तुओं की मरम्मत करने की उम्मीद है। किसी भी विचलन के मामले में उनके द्वारा संबंधित सीओडी/आरओ/टीई से मामला-दर-मामला आधार पर विशिष्ट छूट मांगी जा सकती है, जिन्होंने खरीद आदेश जारी किया है।

ई) विक्रेता डिजाइन, सामग्री, विनिर्माण, कारीगरी, या निर्माता/विक्रेता के किसी भी कार्य या चूक या वारंटी अवधि के दौरान आपूर्ति की गई वस्तुओं के सामान्य उपयोग के तहत विकसित होने वाले किसी भी दोष से उत्पन्न होने वाले किसी भी दोष, सभी वस्तुओं, सहायक उपकरण, स्पेयर पार्ट्स आदि के लिए निर्माता की वारंटी के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे।

उ) वारंटी शून्य नहीं होगी, भले ही सीओडी/आरओएस/टीई किसी तीसरे पक्ष से कोई अन्य पूरक हार्डवेयर खरीदते हैं और इसे इन मशीनों के भीतर स्थापित करते हैं। हालांकि, ओईएम की वारंटी स्थापित ऐसे हार्डवेयर आइटम पर लागू नहीं होगी। उपरोक्त के अलावा, विक्रेता को अनुबंध में वारंटी के नियमों और शर्तों के अनुरूप होना होगा।

छः. <u>डाउनटाइम के लिए जुर्माना</u>

यदि अनुबंध के तहत आपूर्ति की गई वस्तुओं की मरम्मत के लिए आवश्यक अनुमानित समय चार कार्य दिवसों से अधिक है, तो विक्रेता तुरंत समकक्ष या उच्च कॉन्फ़िगरेशन की एक स्टैंडबाय मशीन प्रदान करेगा जब तक कि मूल उपयोग के लिए बहाल नहीं हो जाता। यदि विक्रेता रखरखाव के उपरोक्त मानकों को पूरा करने में विफल रहता है, तो नीचे निर्दिष्ट दंड होगा:

क्रम संख्या।	समाचार	राशि (प्रत्येक के लिए)
1	डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट।	₹1500/- प्रति दिन

2	प्रिंटर/स्कैनर	₹1500/- प्रति दिन
3	परिधीय / अन्य अतिरिक्त आइटम जो ऊपर उल्लेख नहीं किया गया है	₹1000/- प्रति दिन

यदि विक्रेता सात दिनों के भीतर लगाई गई राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो संबंधित सीओडी/आरओ/टीई द्वारा पंजीकृत डाक/ईमेल द्वारा एक नया नोटिस जारी किया जाएगा। यदि इस तरह के नोटिस के सात दिनों के भीतर राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो आदेश देने वाले सीओडी/आरओ/टीई विक्रेता की सलाह के तहत पीबीजी को लागू करने के अपने अधिकार के भीतर होंगे।

संबंधित स्थानों/केंद्रों पर घोषित सार्वजनिक अवकाशों और अप्रत्याशित घटनाओं की स्थिति को डाउनटाइम गणना के लिए बाहर रखा गया है।

सात. <u>बार-बार असफलता</u>

यदि, वारंटी अवधि के दौरान, किसी भी सिस्टम को पूरी तरह से या किसी भी सबसिस्टम में 3 महीने की अवधि में दो या दो से अधिक अवसरों पर कोई विफलता होती है, तो इसे विक्रेता द्वारा बैंक को बिना किसी लागत के समतुल्य नई वस्तुओं से बदल दिया जाएगा। वारंटी अवधि के दौरान डेस्कटॉप/लैपटॉप के एसडीडी या एचडीडी की विफलता के मामले में, विक्रेता उपयोगकर्ता को डेटा पुनर्प्राप्त करने में मदद करेगा।

आठ. <u>बैंक को क्षतिपूर्ति</u>

पैनल में शामिल विक्रेता आपूर्ति किए गए उत्पादों के संबंध में पेटेंट, ट्रेडमार्क आदि के किसी भी उल्लंघन के कारण बैंक को किसी भी नुकसान या क्षति के लिए क्षतिपूर्ति रखेंगे।

नौ. <u>गारंटी</u>

अनुबंध के तहत उपकरण उच्चतम गुणवत्ता और मानक के अनुरूप होना चाहिए। सॉफ्टवेयर के मामले में, विक्रेता गारंटी देगा कि क्रेता को आपूर्ति किया गया सॉफ़्टवेयर लाइसेंस प्राप्त है और कानूनी रूप से प्राप्त किया गया है। सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को उनके मूल और पूर्ण मुद्रित दस्तावेज के साथ आपूर्ति की जानी आवश्यक है, जिसमें पेश की गई वस्तुओं के पूरे लॉट के लिए स्थिरता के रखरखाव के साथ। 'आवश्यकता की अनुसूची' में किसी आइटम की सभी आवश्यक मात्रा एक ही ब्रांड और एक ही मॉडल नंबर की होनी चाहिए। किसी आइटम के सभी

टुकड़ों के लिए भाग संख्या भी समान होनी चाहिए। विक्रेता को किसी भी आंतरिक घटक या आइटम के उप-प्रणालियों को एक अलग निर्माता से समान वस्तुओं द्वारा प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए। सभी वस्तुओं और बाह्य उपकरणों को प्रासंगिक इंटरफ़ेस केबल के साथ आपूर्ति की जानी चाहिए।

पैनल में शामिल विक्रेताओं को केवल "वाणिज्यिक/व्यावसायिक उत्पादों" की आपूर्ति करनी चाहिए, न कि "घर/उपभोक्ता श्रेणी" के किसी उत्पाद की आपूर्ति करनी चाहिए। आइटम और उसकी डेटाशीट सार्वजनिक डोमेन में होनी चाहिए। आपूर्ति किए गए उत्पादों के चालक सार्वजनिक डोमेन में होने चाहिए।

दस.<u>जीवन का अंत</u>

विक्रेता केवल उन वस्तुओं की आपूर्ति करेंगे, जिन्हें 31 मार्च, 2027 तक जीवन का अंत घोषित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, उन उत्पादों को 31 मार्च, 2030 से पहले समर्थन समाप्त नहीं होना चाहिए। हालांकि, ऐसे मामलों में जहां ओईएम किसी विशेष मॉडल को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का निर्णय लेता है, विक्रेता को उत्पाद को किसी अन्य उत्पाद (बिना किसी अतिरिक्त लागत या बैंक में परिवर्तन के बराबर या बेहतर कॉन्फ़िगरेशन वाला मॉडल) के साथ प्रतिस्थापित (अपग्रेड) करने की आवश्यकता होती है। विक्रेता को ऐसे परिवर्तनों के बारे में अच्छी तरह से पहले सूचित करना होगा। यदि कोई स्थानापन्न मॉडल उपलब्ध नहीं है, तो ओईएम के माध्यम से विक्रेता इस तरह के बंद होने से कम से कम एक महीने पहले लिखित रूप में नोटिस देगा। सॉफ्टवेयर के मामले में, विक्रेता बैंक को बिना किसी अतिरिक्त लागत के डिलीवरी के समय उपलब्ध नवीनतम संस्करण की आपूर्ति करेगा।

खंड II

सामान्य नियम और शर्तें

एक. परिसमापन क्षति (एलडी)

यदि विक्रेता अनुबंधित उत्पाद (उत्पादों) को वितरित करने में विफल रहता है, तो सभी उपकरणों को स्थापित/सक्रिय और संचालित करता है या काम पूरा करने में विफल रहता है या उपरोक्त खंड I, पैरा 2 में उल्लिखित समय अनुसूची के भीतर सेवा (ओं) का प्रदर्शन नहीं करता है, तो सीओडी/आरओ/टीई, अनुबंध के तहत अपने अन्य उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, खरीद आदेश मूल्य से परिसमापन क्षति के रूप में, प्रत्येक सप्ताह या देरी के उसके हिस्से के लिए कुल खरीद आदेश मूल्य (करों को छोड़कर) के 0.5 प्रतिशत के बराबर राशि, कुल खरीद आदेश मूल्य (जीएसटी आदि जैसे करों को छोड़कर) की अधिकतम सीमा के अधीन। इस तरह के जुर्माने को विक्रेता के चालान/बिलों से या सुरक्षा जमा (पीबीजी/बीजी) (प्रदर्शन बैंक गारंटी/बैंक गारंटी) से काटा जाएगा।

विभाग अनुबंध में उल्लिखित समाप्ति खंड के प्रावधानों के अनुसार विक्रेता के साथ अनुबंध को समाप्त करने पर भी विचार कर सकता है। दो या दो से अधिक वस्तुओं वाले किसी भी खरीद आदेश के लिए, जुर्माना उन वस्तुओं के लिए होगा, जो अनुसूची के अनुसार वितरित नहीं किए गए हैं, न कि पूरे खरीद आदेश के लिए।

दो. भुगतान की शर्तें

यदि कोई क्रय आदेश मूल्य तीन (03) लाख रुपये (करों को छोड़कर) से अधिक है, तो उत्पाद की संतोषजनक स्थापना पर या डिलीवरी के दो सप्ताह के भीतर विक्रेता को क्रय आदेश (पीओ) मूल्य का 90% दिया जाएगा, यदि देरी बैंक या अप्रत्याशित घटना के कारण होती है, जो भी पहले हो और वारंटी अवधि की समाप्ति पर या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी समतुल्य राशि की बैंक गारंटी जमा करने पर शेष 10% (करों को छोड़कर) वारंटी अवधि के अंत तक वैध होगी। ऐसे मामलों में बैंक गारंटी विक्रेता से उक्त पीओ के चालान के साथ मांगी जा सकती है।

यदि कोई क्रय आदेश मूल्य तीन रुपये (03) लाख रुपये (करों को छोड़कर) से कम है, तो उत्पाद की संतोषजनक स्थापना पर या डिलीवरी के दो सप्ताह के भीतर संबंधित

सीओडी/आरओ/टीई द्वारा जारी पीओ के अनुसार विक्रेता को 100% भुगतान किया जाएगा, यदि देरी बैंक या अप्रत्याशित घटना के कारण है, जो भी पहले हो।

तीन. <u>अनुबंध की पूर्णता</u>

अनुबंध को अधूरा माना जाएगा यदि वस्तुओं/उपकरण या उससे संबंधित किसी भी दस्तावेज/मीडिया का कोई घटक वितरित नहीं किया जाता है या वितरित नहीं किया जाता है लेकिन स्थापित नहीं किया जाता है और/या परिचालन नहीं होता है या स्वीकृति परीक्षण/परीक्षा के बाद संबंधित सीओडी/आरओ/टीई को स्वीकार्य नहीं होता है। किसी घटना में, आपूर्ति और स्थापना को अधूरा कहा जाता है, इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा, और वारंटी अवधि शुरू नहीं होगी। वारंटी अवधि उक्त पैनल के तहत सूचीबद्ध उत्पादों की सफल स्थापना और संबंधित सीओडी/आरओ/टीई द्वारा इसकी स्वीकृति के बाद ही शुरू होगी।

चार. <u>अप्रत्याशित घटना</u>

विक्रेता अपनी प्रदर्शन सुरक्षा को जब्त करने, परिसमापन क्षति या डिफ़ॉल्ट के लिए समाप्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यदि और इस हद तक कि अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में इसकी देरी या अन्य विफलता अप्रत्याशित घटना की घटना का परिणाम है। इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "अप्रत्याशित घटना" का अर्थ है विक्रेता के नियंत्रण से परे एक घटना और विक्रेता की गलती या लापरवाही को शामिल नहीं करना और पूर्वानुमानित नहीं। इस तरह की घटनाओं में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, ईश्वर के कार्य या सार्वजनिक शत्रु के कार्य, भारत सरकार के अपनी संप्रभु क्षमता में कार्य, युद्ध के कार्य, और भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य या आग, बाढ़ और माल ढुलाई प्रतिबंध।

यदि कोई अप्रत्याशित घटना की स्थिति उत्पन्न होती है, तो विक्रेता तुरंत बीस कैलेंडर दिनों के भीतर ऐसी शर्तों और उसके कारण के बारे में बैंक को लिखित रूप में सूचित करेगा। जब तक बैंक द्वारा अन्यथा निर्देशित नहीं किया जाता है, लिखित रूप में, विक्रेता अनुबंध के तहत अपने दायित्वों का पालन करना जारी रखेगा जहां तक यह यथोचित रूप से व्यावहारिक है और अप्रत्याशित घटना द्वारा रोके गए प्रदर्शन के लिए सभी उचित वैकल्पिक साधनों की तलाश करेगा। ऐसे मामले में, प्रदर्शन के लिए समय को ऐसी देरी की अवधि से कम नहीं की जाएगी।

यदि देरी की अवधि तीन महीने की अवधि से अधिक जारी रहती है, तो बैंक और विक्रेता समस्या का समाधान खोजने के प्रयास में एक-दूसरे के साथ परामर्श करेंगे। उपरोक्त के बावजूद, बैंक का निर्णय अंतिम होगा और विक्रेता पर बाध्यकारी होगा।

पाँच. <u>विवादों का समाधान</u>

बैंक और विक्रेता सीधे अनौपचारिक बातचीत द्वारा, अनुबंध के तहत या उसके संबंध में उनके बीच उत्पन्न होने वाली किसी भी असहमति या विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। यदि इस तरह की अनौपचारिक बातचीत शुरू होने के तीस दिनों के बाद, बैंक और विक्रेता सौहार्दपूर्ण रूप से एक अनुबंध विवाद को हल करने में असमर्थ रहे हैं, तो किसी भी पक्ष को यह आवश्यकता हो सकती है कि विवाद को औपचारिक मध्यस्थता द्वारा समाधान के लिए भेजा जाए।

छः. <u>अधिकार-क्षेत्र</u>

समझौते से संबंधित या उससे उत्पन्न होने वाले सभी कानूनी मुकदमे, कार्रवाई या कार्यवाही केवल मुंबई में न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगी।

खंड - III

बोलीदाताओं को निर्देश

निविदा की वाणिज्यिक बोली में विधिवत भरी गई ई-निविदाओं को आरबीआई पोर्टल के तहत सीपीपी पोर्टल (https://etenders.gov.in/eprocure/app) में अपलोड किया जाना चाहिए, जो **'ए3' एडवांस्ड ऑल-इन-वन (एआईओ) डेस्कटॉप के 03 की आपूर्ति और स्थापना के काम के लिए** 28 नवंबर, 2026, शाम 05:00 बजे **तक होना चाहिए**।

एक. बैंक बोलीदाताओं द्वारा किसी भी अतिरिक्त शर्तों के निर्धारण को हतोत्साहित करता है। हालांकि, यदि बोलीदाता कोई शर्त/स्पष्टीकरण शामिल करना चाहते हैं, तो इसे एक विशेष टिप्पणी के रूप में संबोधित किया जाएगा। स्पष्टीकरण/शर्तें, आदि, यदि कोई हो, की जांच की जाएगी और सभी बोलीदाताओं के साथ चर्चा के बाद, बैंक को स्वीकार्य शर्तों के बारे में सभी बोलीदाताओं को सूचित किया जाएगा।

दो. वाणिज्यिक बोली 30 नवंबर, 2026 को सुबह 11:00 **बजे खोली जाएगी**।

तीन. डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग अनुबंध की सामान्य शर्तों, विनिर्देशों, विशेष शर्तों आदि के साथ स्वयं को परिचित होने के टोकन में निविदा जमा करने के लिए किया जा सकता है।

चार. यदि कोई दस्तावेज गायब है, तो निविदा को बैंक द्वारा अपने विवेक पर अमान्य माना जा सकता है। निविदा खोलने के बाद दर या शर्तों में किसी भी बदलाव की किसी भी सलाह पर विचार नहीं किया जाएगा।

पाँच. लेनदेन शुल्क गैर-वापसी योग्य है। एक विक्रेता के पास लेनदेन शुल्क के भुगतान के बिना ऑनलाइन ई-निविदा तक पहुंच नहीं होगी।

छः. भारतीय रिज़र्व बैंक निम्नतम या किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए स्वयं को बाध्य नहीं करता है और ऐसा करने के लिए कोई कारण बताए बिना, किसी भी या सभी निविदाओं को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है।

सात. नियोक्ता से उसकी / उसकी / उनकी निविदा की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, सफल बोलीदाता अनुबंध को निष्पादित करने के लिए बाध्य होगा और भीतर

इसके चौदह दिनों के बाद, सफल बोलीदाता मसौदा समझौते और शर्तों की अनुसूची के अनुसार एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगा, लेकिन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निविदा की लिखित स्वीकृति

भारतीय रिज़र्व बैंक और बोली लगाने वाले व्यक्ति के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध का गठन करेगी, चाहे ऐसा औपचारिक करार बाद में निष्पादित किया गया हो या नहीं।

आठ. विक्रेता अनुबंध को असाइन नहीं करेगा। वह बैंक की लिखित सहमति के अलावा, अनुबंध के किसी भी हिस्से को किराए पर नहीं देगा। इन शर्तों के उल्लंघन के मामले में, बैंक अनुबंध को रद्द करने वाले ठेकेदार पर लिखित रूप में एक नोटिस दे सकता है, जिसके बाद सुरक्षा जमा नियोक्ता को जब्त कर लिया जाएगा।

नौ. विक्रेता विनिर्देशों और विवरणों के अनुसार सख्ती से वस्तुओं को वितरित करेगा, जैसा कि निविदा दस्तावेज में उल्लेख किया गया है।

दस. **बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे सभी मदों के लिए <u>जीएसटी सहित दरों का उल्लेख करें।</u> जीएसटी <u>सहित प्रणाली में दिखाई गई अंतिम कुल राशि</u> अंतिम बोली राशि/अनुबंध राशि होगी। ई-निविदा खोलने के बाद उद्धृत दरों में कोई बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा।**

ग्यारह. प्रत्येक चालान/बिल अन्य बातों के अलावा, विक्रेता के पैन और
जीएसटी पंजीकरण संख्या। विक्रेता प्रेषण से उचित समय के भीतर जीएसटी के प्रेषण का पर्याप्त प्रमाण भी बैंक को प्रस्तुत करेगा। अनुबंध मूल्य भी टीडीएस/टीसीएस/टीडीएस के अधीन होगा जीएसटी / विदहोल्डिंग टैक्स / किसी अन्य कर के तहत, कानूनों के अनुसार।

बारह. सफल निविदाकर्ता की 'कुल सुरक्षा जमा' बैंक को बिना किसी सहारा के जब्त कर ली जाएगी, यदि वह अनुबंध की किसी भी शर्त का पालन करने में विफल रहता है।

तेरह. बोलीदाता को अपने लिए, अपनी जिम्मेदारी पर और अपने स्वयं के खर्च पर, सभी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए जो अपनी निविदा बनाने और अनुबंध में प्रवेश करने के उद्देश्य से आवश्यक हो सकती है और स्वयं आवश्यकताओं (यदि कोई हो), साइट, विनिर्देशों और निविदा को नियंत्रित करने वाली अन्य सभी शर्तों की जांच करनी चाहिए। इस तरह के ज्ञान की कमी या बोलीदाता की ओर से किसी भी गलतफहमी के कारण बैंक द्वारा किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

चौदह. वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कंप्यूटर सिस्टम की आपूर्ति और स्थापना के लिए विक्रेताओं को सूचीबद्ध करते समय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, केंद्रीय कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों के अलावा और बिना किसी पूर्वाग्रह के ऊपर उल्लिखित सभी निर्देश, नियम और शर्तें निविदाकर्ता के लिए बाध्यकारी होंगी।

पंद्रह. सामग्री की आपूर्ति भारतीय रिजर्व बैंक, मुख्य बाजार कसुम्पटी, शिमला, हिमाचल प्रदेश

171009 में प्रभावित होगी, विक्रेता द्वारा अपनी लागत और जोखिम पर वितरित और स्थापित की जाएगी। विक्रेता सामग्री के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें किसी भी नुकसान या हानि के लिए भी शामिल है, जब तक कि भारतीय रिजर्व बैंक, शिमला को वस्तुओं को लिखित रूप में विधिवत स्वीकार नहीं किया जाता है।

सोलह. जहां भी विक्रेता रोलओवर/अपग्रेडेड मॉडल की आपूर्ति करने का प्रस्ताव करता है, वह केवल डीआईटी सीओ, मुंबई के अधिकृत अधिकारियों के लिखित रूप में पूर्व अनुमोदन के साथ किया जाएगा।

सत्रह. बैंक निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत समान कीमतों पर या तो पूर्ण या आंशिक रूप से निविदा को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, और इस तरह की स्वीकृति निविदाकर्ता पर स्वीकार की गई निविदा की सीमा तक बाध्यकारी होगी।

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि मैं/हमने निविदाकर्ताओं के मार्गदर्शन के लिए प्रदान किए गए उपरोक्त निर्देशों, नियमों और शर्तों आदि को पढ़ और समझ लिया है और तदनुसार मेरी दरों को उद्धृत किया है।

स्थान: **निविदाकर्ता के हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर**

दिनांक:

मात्रा के बिल का सार

मद संख्या।	आइटम का विवरण।	इकाई	बड़ तादाद
ए3	**A3 - उन्नत ऑल-इन-वन (AIO) डेस्कटॉप** **विशेष विवरण-** इंटेल कोर i9 13700/14700 या उच्चतर, 16 GB DDR5-4800 मेगाहर्ट्ज 2 DIMM स्लॉट या उच्चतर के साथ, 1 TB PCIe® NVMe™ SSD या उच्चतर, 23.8" W LED मॉनिटर, 1920X1080 (या उच्चतर), विंडोज 11 प्रो, 3 साल की वारंटी (उद्धृत कीमतें जीएसटी और अन्य लागू करों सहित होनी चाहिए)	Nos	3